मूलवाद में डिकी

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट : न्याय आपके द्वार उम्मेदपुरा

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–103 / 2017 रे0वाद

अर्न्तगत धाराः–53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. हेमा आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादी-----

बनाम

1. रामलाल आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. डालु आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. मु0 सायरी बेवा नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण-----

निर्णय

दिनांकः 26.06.2018

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार बलाई की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं किः–

न्यायहित में वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिकी किया जाता है। वाद में वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है. गै0मु0 चाह को छोडते हुए शेष सभी आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी के 1/4 हिस्से का कब्जा दिलाये जाने की विभाजन की डिकी बहक वादी विरद्ध प्रविादी संख्या 1 लगायात 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है. गै0मु0 चाह को वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 3 के हिस्से अनुसार सामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड रखा जावें। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 3 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता हैः–

1.हेमा पिता नारू बलाई निवासी अरनीया जागीर, सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
395 / 1	0.03
398	0.31

87/1	0.05
13/2	0.09
16	0.27
कुल किता 5	**कुल 0.75 है.**

4. रामलाल 1/3 , डालु 1/3 पिता नारू सायरी 1/3 बेवा नारू बलाई नि0 अरनीया जागीर सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
13/1	0.26
14	0.65
15	0.35
87/2	0.09
395/2	0.07
396	0.09
399	0.36
402	0.19
404	0.17
कुल किता 9	**कुल 2.23 है.**

5. **शामलाती बदस्तुर**

आ0नं0	रकबा
403	0.02
कुल किता 1	**कुल 0.02 है.**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो ।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

डिक्री आज दिनांक 26.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
राजस्व लोक अदालत / केम्प कोर्ट : न्याय आपके द्वार उम्मेदपुरा

पीठासीन अधिकारी राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–103 / 2017 रे0वाद
अर्न्तगत धाराः–53 आर0टी0एक्ट

शीर्षक

1. हेमा आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

वादी----

बनाम

1. रामलाल आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।
2. डालु आत्मज नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. मु0 सायरी बेवा नारू बलाई निवासी अरनिया जागीर, तहसील सहाडा जिला भीलवाडा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण----

निर्णय

दिनांकः 26.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीं ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम अरनिया जागीर, पटवार हल्का उम्मेदपुरा, तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में कब्जे काश्त की आराजी संख्या 13 रकबा 0.35 है., आराजी संख्या 14 रकबा 0.65 है., आराजी संख्या 15 रकबा 0. 35 है., आराजी संख्या 16 रकबा 0.27 है., आराजी संख्या 87 रकबा 0.14 है., आराजी संख्या 395 रकबा 0.10 है., आराजी संख्या 396 रकबा 0.09 है., आराजी संख्या 398 रकबा 0.31 है., आराजी संख्या 399 रकबा 0.36 है., आराजी संख्या 402 रकबा 0.19 है., आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है., गै0मु0 आराजी चाह, आराजी संख्या 404 रकबा 0.17 है., कुल किता 12 रकबा 3.00 है0. हैं। जिसमें वादीं का 1/4 हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हिस्सा, प्रविादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा एवं शेष 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 का निहित है। वादीं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये उक्त आराजियात मे आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है. गै0मु0 आराजी चाह को छोडते हुए, वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्से अनुसार सामलाती दर्ज रखाई जाकर शेष आराजीयात का विभाजन

कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 07.09. 2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 24.10. 2017 को वाद प्रारम्भिंक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर वादीं एवं वादीं के अधिवक्ता को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है।

अतः

–:आदेश:–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार वर्णित आराजीयात में से आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है. गै0मु0 चाह को छोडते हुए शेष सभी आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादी के 1/4 हिस्से का कब्जा दिलाये जाने की विभाजन की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रविादी संख्या 1 लगायात 3 के इस आशय की जारी की जाती है कि आराजी संख्या 403 रकबा 0.02 है. गै0मु0 चाह को वादी और प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 3 के हिस्से अनुसार सामलाती खाते में दर्ज रिकार्ड रखा जावें। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायात 3 के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है:–

1.हेमा पिता नारू बलाई निवासी अरनीया जागीर, सा0देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
395/1	0.03
398	0.31
87/1	0.05
13/2	0.09
16	0.27
कुल किता 5	**कुल 0.75 है.**

2. रामलाल 1/3 , डालु 1/3 पिता नारू सायरी 1/3 बेवा नारू बलाई नि0 अरनीया जागीर सा0 देह खातेदार

आ0नं0	रकबा
13/1	0.26
14	0.65

15	0.35
87 / 2	0.09
395 / 2	0.07
396	0.09
399	0.36
402	0.19
404	0.17
कुल किता 9	**कुल 2.23 है.**

3. शामलाती बदस्तुर

आ0नं0	**रकबा**
403	0.02
कुल किता 1	**कुल 0.02 है.**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते बाई मिट्स एण्ड बॉण्ड के आधार कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर , भीलवाड़ा(राज0)